

निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई०ए०एस० जिला कलक्टर, झालावाड़

मि०न० 52 /अपील/20

लक्ष्मीनारायण पुत्र चैनसिंह गुर्जर नि० गउपुरा तहसील असनावर (अपीलान्त)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये सहायक वन संरक्षक झालावाड़

(रेस्पो०)

अपील बनाराजगी आदेश सहायक वन संरक्षक, झालावाड़ मिसन न० 20/असनावर/17
दिनांक 31.10.2017

उपस्थित:- इन्द्रसिंह गुर्जर अभिभाषक अपीलान्त

-: निर्णय :-

दिनांक: 22.10.2020

यह अपील अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, झालावाड़ के आदेश दिनांक 31.10.2017 जो मिसल न० 45/असनावर/17 पर दिया गया जिसमें अपीलान्त को वनखण्ड रातादेवी की ग्राम गउपुरा के खसरा न० 17 रकबा 03 बीघा का अतिक्रमी मानकर 300/-रु शास्ती व 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया गया से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्त ने अपने अपील में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का फैसला खिलाफ कानून एवं पत्रावली संग्रह सार के विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त पर नोटिस की तामील विधिवत रूप से नहीं करवाई गई व अपना पक्ष प्रस्तुत करने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं देकर सजायाब किया है, अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं है पूर्व में ही कब्जा छोड़ चुका है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निणय निरस्त किया जावे।

अपील सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो० को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। सहायक वन संरक्षक की ओर से परोकार उपस्थित नहीं होने पर उनका पक्ष नहीं सुना जा सका।

अभिभाषक अपीलान्त ने दौराने बहस अपील में की पुष्टी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अपीलान्त ने पेनल्टी की राशि जमा करवादी है व आराजी पर से कब्जा भी छोड़ दिया गया है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट अंकन किया गया है कि अपीलान्त द्वारा पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था, इस प्रकार अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित है व पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर ही सहायक वन संरक्षक, झालावाड़ द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न क्षेत्रीय वन अधिकारी, असनावर की रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमी का उक्त आराजी पर से कब्जा मौके पर से कब्जा हटा लेने की रिपोर्ट अंकित है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त को इस अपील के माध्यम से राहत दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त पर आरोपित शास्ती व बेदखली आदेश को यथावत रखते हुए सिविल कारावास की सजा से इस शर्त पर मुक्त किया जाता है कि अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में 15 योम की अवधि में 20000/- रुपये की जमानत व इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत करे तथा इस आशय का शपथ पत्र पेश करें कि भविष्य में उक्त वादग्रस्त भूमि पर ना तो स्वयं अतिक्रमण करेंगे और ना ही अपने किसी परिवारजन से करवायेगें। यदि अपीलार्थी का विवादित आराजी पर स्वयं का अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी, उसके लिए पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)

जिला कलक्टर
झालावाड़